सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER,
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय आदेश संख्या : 128 / 2020

कार्यालय आदेश संख्या 62/2019 दिनांक 14.08.2019 में आंशिक आशोधन करते हुए तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेश होने तक के लिए निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं:-

क. संयुक्त विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित शक्तियां:-

क्रमांक	अनुभाग	कार्यों की सूची
1	सीप्ज़ - सेज़ / नया सेज़	• यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात एलओपी जारी करना । • एनएसडीएल से संबंधित मामले । • यूनिटों को बिजली शुल्क छूट के लिए प्रमाणपत्र जारी करना । • सेज़ यूनिटों को प्रारंभ प्रमाणपत्र अथवा ग्रीन कार्ड के बदले में प्रमाणपत्र जारी करना । • प्रदर्शनी के लिए व्यक्तिगत रूप से आभूषण / वस्तुएं बाहर ले जाने हेतु अनुमोदन । • नमूनों का निर्यात । • किंबर्ली सर्टिफिकेट जारी करना । • जन संपर्क । • जीएसपी कार्य का पर्यवेक्षण । • यूनिटों को सेवाओं की डिफॉल्ट सूची का अनुमोदन । • प्राइवेट सेज़ों में प्रोजेक्शनों में संशोधन किए बिना स्थान बढ़ाना / घटाना, इन्क्यूबेशन (प्राइवेट सेज़ों में) के लिए स्थान । • 3 महीनों के लिए सेज़ ऑनलाइन अस्थायी विस्तार । • बंधपत्र सह विधिक वचनबंध स्वीकृत करना तथा जारी करना । • विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन के पश्चात बहिर्गमन विधिक वचनबंध की स्वीकृति । • आइईसी संशोधन । • प्रयुक्त पूंजीगत माल के प्रापण की सूचना । • विकास आयुक्त द्वारा फाइल पर प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने के पश्चात यूएसी की कार्यसूची में शामिल करना । • शुल्क वापसी के बदले में शुल्क वापसी की प्रतिपूर्ति - 1 (एक) करोड़ तक । • सभी सीआरए / सीएजी आपत्तियों पर कार्रवाई करना । • विकास आयुक्त के अनुमोदन से सभी संसद प्रश्नों तथा सरकारी संदर्भों पर कार्रवाई करना । • सेज़ों के नए आवेदनों / नवीकरणों / ब्रॉडबेंडिंग / पूंजीगत मालों में वृद्धि से संबंधित द्वितीय कमियों के बारे में पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत । • एपीआरों के प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करना तथा न्यायनिर्णयन । • एमईआइएस/एसईआइएस/अन्य स्क्रिप - 1 (एक) करोड़ तक ।

2.	निर्यातोन्मुख यूनिट	• यूएसी द्वारा अनुमोदित किए जाने पर एलओए जारी करना । • विधिक वचनबंध का निष्पादन । • विधिक वचनबंध के अनुशेष का अनुमोदन । • नए/नवीकृत ग्रीन कार्ड जारी करना । • आइईसी संशोधन / निर्गम । • अग्रिम डीटीए बिक्री तथा नियमित डीटीए बिक्री के लिए अनुमति। • पुनः निर्यात / पुनः आयात के लिए अनुमति । • सॉफ्टेक्स फॉर्मों का प्राधिकार । • रद्दी / अपशिष्ट के निपटान की अनुमति । • मालों के प्रतिस्थापन / मरम्मत की अनुमति । • बिना शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन किए नाम के परिवर्तन की अनुमति । • आइईसी नं. का आबंटन । • विकास आयुक्त द्वारा अनुमति दिए जाने के पश्चात ईओयू से अंतिम बहिर्गमन की अनुमति । • पूंजीगत माल की वृद्धि की अनुमति । • प्रदर्शनी / दौरे के माध्यम से निर्यात की अनुमति । • सीएसटी / डीबीके / टीईडी की प्रतिपूर्ति - 1 (एक) करोड़ तक । • विकास आयुक्त के अनुमोदन से उपर्युक्त कार्यों से संबंधित सभी विवादित मामले । • एपीआर प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करना / न्याय निर्णयन करना । • विदेश व्यापार नीति के अनुसार गैर प्रोत्साहन / निःशुल्क बिक्री प्रमाणपत्र जारी करना । • एमईआइएस / एसईआइएस से संबंधित कार्य - 1 (एक) करोड़ तक।
3.	श्रम	श्रम संबंधित मामलों के संबंध में पूर्ण शक्तियां
4.	लेखा	**<u>सीएसटी / डीबीके / टीईडी तथा आरओडी</u>** • सीएसटी / डीबीके / टीईडी तथा ड्रॉबैक के बदले में शुल्क वापसी से संबंधित सभी दावों की स्वीकृति - 1 (एक) करोड़ तक । • दूसरे हस्ताक्षरकर्ता के साथ किए गए दावों के संबंध में आरटीजीएस भुगतानों का अनुमोदन ।
5.	सूचना का अधिकार से संबंधित मामले	सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन प्रथम अपील से संबंधित सभी मामले ।
6.	प्रशासन	• समूह 'ख' तक के अधिकारियों / कर्मचारियों की सभी प्रकार की छुट्टियां । • विकास आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात समूह 'ख' तक के अधिकारियों / कर्मचारियों के ज्ञापन जारी करना । • रिक्तियों से संबंधित सभी मामले । • पेन्शन से संबंधित सभी मामले । • सरकारी संदर्भों / संसद प्रश्नों से संबंधित सभी मामले (विकास आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात) । • एपीएआर से संबंधित सभी मामले । • विकास आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात निविदाओं / क्रय से संबंधित सभी मामले ।

ख. **<u>उप विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित शक्तियां</u>**

1.	प्रशासन	• विकास आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात निविदाओं से संबंधित सभी अनुवर्ती मामले । • वित्तीय शक्तियों के अनुसार क्रय से संबंधित सभी मामले । • पेन्शन / सेवा निवृत्ति से संबंधित सभी मामले । • सरकारी कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि से संबंधित मामले।
2.	निर्यातोन्मुख यूनिट	• जीएसपी प्रमाणपत्र जारी करना । • अंतर यूनिट अंतरण के मामलों से संबंधित सूचना । • निम्न स्तर के तकनीशीयनों के रोजगार वीज़ा के लिए पात्रता प्रमाणपत्र । • पुनः निर्यात / पुनः आयात से संबंधित मामलों की सूचना । • रद्दी / अपशिष्ट के निपटान से संबंधित मामलों की सूचना । • मालों के प्रतिस्थापन / मरम्मत से संबंधित मामलों की सूचना ।
3	वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन	I. **<u>पूर्ण शक्ति</u>** • बिजली बिलों का भुगतान । • इंटरनेट प्रभार सहित कार्यालय / आवासीय टेलीफोन बिलों का भुगतान । • डाक टिकटों की खरीद । • समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं की खरीद । • जल प्रभारों का भुगतान । • शिक्षण शुल्क / समाचार पत्रों की प्रतिपूर्ति । II. **<u>अनुमोदन के पश्चात</u>** • संविदा के अनुमोदन के पश्चात आउटसोर्स स्टाफ का भुगतान। • संविदा के अनुमोदन के पश्चात सभी एएमसी के बिलों का भुगतान । • संविदा के अनुमोदन के पश्चात किराए पर लिए गए वाहनों का भुगतान । • संविदा के अनुमोदन के पश्चात कार्टिजों सहित कंप्यूटर कनज्यूमेबल्सों की खरीद । III. **<u>सीमित शक्ति</u>** • कार्यालय के लिए लेखन सामग्री की खरीद 1,00,000/- रू. तक (एकबारगी) । • फिक्सचर्स, फर्नीचर एवं मरम्मत 1,00,000/- रू. तक (एकबारगी) । • गैर सरकारी प्रकाशन 5,000/- रू. । • खरीदना, किराए पर लेना, सभी कार्यालय उपस्करों जिनमें डेडिकेटेड वर्क प्रोसेसर्स, इंटरकॉम उपस्कर, कलकुलेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंसिल कटर, डिक्टाफोन्स, टेप रिकॉर्ड, फोटो कॉपियां, कॉपीइंग मशीनें, फ्रैकिंग मशीनें, एड्रसोग्राफ्स, फाइलिंग तथा इन्डेक्सिंग सिस्टम्स आदि शामिल हैं, का रखरखाव तथा मरम्मत - एकबार में 25,000/- रू. तक ।

घ <u>सहायक विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित शक्तियां</u>

1	अनुभाग	• यूनिटों / विकासकों / सह विकासकों के सभी आवेदनों / अनुरोधों की जांच करने के पश्चात प्रथम कमियों से संबंधित पत्र । • एलओए / सभी अनुमोदन / अनुमति के स्वीकृत किए जाने की सूचना । • कर्मचारियों को डिज़िटल हस्ताक्षर जारी करने के लिए अनुमोदन देना । • सेज़ों तथा ईओयू के ईपीसीएस से संबंधित कार्य । • पासपोर्ट प्रयोजन के लिए वास्तविक प्रमाणपत्र जारी करना । • शुद्धिपत्र (केवल टंकण संबंधी त्रुटियों के लिए) जारी करना ।

ग. (i) संयुक्त विकास आयुक्त, पुणे को सीआरए, डीबीके, एमईआइएस, एसईआइएस से संबंधित कार्यों को छोड़कर पुणे समूह के सेज़ संबंधी सभी मामलों में वही शक्तियां होंगी जो संयुक्त विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ को प्राप्त हैं ।

(ii) पुणे समूह के अधीन आने वाले समूह "ख" स्तर तक के सभी अधिकारियों की सभी प्रकार की छुट्टियां संयुक्त विकास आयुक्त, पुणे द्वारा स्वीकृत की जाएंगी । वे अभिलेख के लिए अर्जित छुट्टियों के आवेदन सविआ/ प्रशासन, सीप्ज़ को भिजवाएंगे ।

(iii) सहायक विकास आयुक्त/सुरक्षा सरकारी सुरक्षा कार्मिकों के सभी प्रकार की छुट्टियां स्वीकृत करेंगे ।

(iv) निचले स्तर के अधिकारियों को प्रत्यायोजित सभी शक्तियों का प्रयोग उच्चतर अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा ।

(v) विकास आयुक्त को सभी फाइलें संयुक्त विकास आयुक्त के माध्यम से भिजवाई जाएंगी ।

यह विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(राजू कुमार)
सहायक विकास आयुक्त (प्रशासन),
कृते विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़

सं.सीप्ज़-सेज़/प्रशासन/273/08-09/00546 दिनांकः 10.01.2020

प्रतिलिपिः-
1. सभी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी
2. कार्यालय आदेश फाइल
3. कार्यालय आदेश रजिस्टर